सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 03, सोमवार, *शाके 1946*- मार्च 24, 2025

Chaitra 03, Monday, Saka 1946- March 24, 2025

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 19, 2025

जी.एस.आर.123 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम,2025 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 266 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 266 के खंड (3) में शीर्ष (ख) विशेष शिक्षा के उप-शीर्ष, स्तर-(ii) कक्षा 6 से 8 तक के सामने विद्यमान मद (iii) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii)भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में बी.एड. या बी.एड. और भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा, जो तत्संबंधी पद में वर्णित विनिर्दिष्ट दिव्यांगता प्रवर्ग में उत्तीर्ण करना आज्ञापक है;"

3. अनुसूची-1 का संशोधन.- उक्त नियमों के अध्याय-12 की अनुसूची-1 में, क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तंभ संख्यांक 5 में स्तंभ 2 के शीर्ष (ख) विशेष शिक्षा के उप-शीर्ष, स्तर-(ii)कक्षा 6 से 8 तक के सामने विद्यमान मद (iii) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(iii)भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में बी.एड. या बी.एड. और भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त विशेष शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा, जो तत्संबंधी पद में वर्णित विनिर्दिष्ट दिव्यांगता प्रवर्ग में उत्तीर्ण करना आज्ञापक है;"

[सं.एफ.4(7)नियम/संशो/विधि/पंरा/2025/268]

राज्यपाल के आदेश से,

इन्द्रजीत सिंह,

शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)
NOTIFICATION

Jaipur, March 19, 2025

G.S.R.123 :- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 266.-In clause (3) of rule 266 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, the existing item (iii) and entries thereto against sub-head Level-(ii) Class VI to VIII of head (B)Special Educationshall be substituted by the following, namely:-

"(iii)B.Ed in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India or B.Ed. and 2 years Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India, which is mandatory to pass in the specific disability category mentioned in the corresponding Post."

3. Amendment of schedule-I.-In schedule-I of chapter-XII of the said rules, in column number 5 against serial number 5, the existing item (iii) and entries thereto against sub-head Level-(ii) Class VI to VIII of head (B) Special Education of column 2 shall be substituted by the following, namely:-

"(iii)B.Ed in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India or B.Ed. and 2 years Diploma in Special Education recognized by the Rehabilitation Council of India, which is mandatory to pass in the specific disability category mentioned in the corresponding Post."

[NO.F.4(7)Rule/Amend/ Legal/PR/2025/268]

By Order of the Governor,

Indrajeet Singh,

Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.